**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1019**

**उत्‍तर देने की तारीख: 03.12.2012**

**खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण**

**1019.** **श्री राजीव चन्द्रशेखर:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केñवीñआर्इñसीñ) ने कर्णाटक राज्य में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री के. एच. मुनियप्‍पा)**

(क)और(ख): देश में कर्णाटक सहित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) देश में खादी एवं ग्रामोद्योगों (केवीआई) को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसमें (i) विपणन विकास सहायता (एमडीए), (ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (आईएसईसी), (iii) पारंपरिक उद्योगों के पुनुरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), (iv) खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी), (v) उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी), (vi) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना एवं (vii) विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना एवं विपणन संबंधी आधारभूत संरचना के लिए सहायता शामिल हैं। कर्णाटक में खादी एवं ग्रामोद्योगों (केवीआई) उत्पादों का उत्पादन निम्नोक्त है:

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **उत्पादन (करोड़ रू. में)** |
| 2009-10 | 1337.30 |
| 2010-11 | 1463.02 |
| 2011-12 | 1606.66 |

केवीआईसी गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी येाजना भी कार्यान्वित कर रहा है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। विशेष वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रू. तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू. है। वर्ष 2008-09 में अपनी शुरूआत से 31 अक्तूबर, 2012 तक कर्णाटक में 7082 सूक्ष्म-उद्यमों को 146.39 करोड़ रू. की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की गई है।

\*\*\*\*\*\*\*